

उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूमि, चाईबारा।

संख्या : ६२६/३२,

दिनांक : १६-३-२०११

प्रगाण पत्र

१. प्रमाणित किया जाता है कि मे० जे० एस० डब्ल्यू० रसील लिमिटेड, अशोक नगर, रॉडी परियोजना के लिए प्रस्तावित ९९८.०७ हेक्टेयर क्षेत्र वनभूमि अंकुवा लौह एवं मैग्नीज अयस्क खनन के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवारी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ के अन्तर्गत Settlement of Rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक रो संबंधित अभिलेख संलग्न है।
२. प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के रामक रखा गया। परियोजना की विरत्ति विवरणी तथा अनुकूली प्रगाव के संबंध में वरत्तुरिति स्थानीय गांधा/मातृगांधा में ग्रामराजा को व्यक्तिगत कर दी गई है।
३. प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई वर्वा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सीमा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
४. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ की धारा ३-(1) (e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
५. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के हारा दिए जाने वाली सुविधाओं रो संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवारी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ की धारा ३(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा हारा इस पर सहमति घोषित की गई है।

